



## दौंड नगरपरिषद ,दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

वार्ड क्र: २

मालमत्ता क्र: १०९४ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र:

जुना मालमत्ता क्र:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै:

धारक ..

भोगवटदाराचे नाव:

अर्षद हनीफ शेख

मालमत्तेचे वर्णन:

निवासी

बिल क्र.

भाडेकरूचे नाव:

पत्ता: पानसरे वस्ती, दौंड

दुकान / इमारतीचे नाव:

संगणक क्र.:

| राचे विवरा    | संकलित कर रु | वृक्ष कर रु | अग्निशमन कर रु | वि. स्वच्छता कर रु | शिक्षण उपकर रु | रो. ह. उपकर रु | उपयोगकर्ता शुल्क रु | शास्ती रु दि.३१/०५/२०२४ पर्यंत | अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु | एकुण कर रु |
|---------------|--------------|-------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| थकीत मागणी रु | ११२७         | ४७          | २३             | २३                 | २६१            |                | ३६०                 | १८४                            |                                            | २०२५       |
| चालु मागणी रु | ११२७         | ४७          | २३             | २३                 | २६१            |                | ३७८                 |                                |                                            | १८५९       |
| एकुण मागणी रु | २२५४         | ९४          | ४६             | ४६                 | ५२२            |                | ७३८                 | १८४                            |                                            | ३८८४       |

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही



## दौंड नगरपरिषद ,दौंड जि.पुणे

दि.-०३/०६/२०२४

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० अंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२४ ते ३१ मार्च २०२५ या वर्षाकरीता

कराचे बिल

वार्ड क्र: २

मालमत्ता क्र: १०९४ भाग क्र:

जुना वार्ड क्र

जुना मालमत्ता क्र:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै:

धारक ..

भोगवटदाराचे नाव:

अर्षद हनीफ शेख

मालमत्तेचे वर्णन:

निवासी

पत्ता: पानसरे वस्ती, दौंड

बिल क्र.

दुकान / इमारतीचे नाव:

संगणक क्र.:

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ नुसार नगर परिषदेचा कर आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला अर्थात १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्यापासून १५ दिवसांचे आत विलातील संपूर्ण रकमेचा भरणा केल्यास संकलित करात १ टक्का सवलत मिळेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील ( राजपत्र दि.२७/०४/२०१० असाधारण भाग ४ ) मधील सुधारीत कलम १५० अ (१) कमेचा पूर्ण भरणा करेपर्यंत प्रतिमाह २% शास्ती भरावी लागेल व चालु मागणीतील पहिली अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३०/०९/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी. त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% शास्ती लागेल व चालु मागणीतील दुसरी अर्धवार्षिक रक्कम दि. ३१/१२/२०२४ पर्यंत भरणा करण्यात यावी अन्यथा त्यानंतर रक्कम भरेपर्यंत २% प्रतिमाह शास्ती भरावी लागेल. ४) रक्कम न भरल्यास कलम १५० अ (१) अन्वये एकुण थकीत रकमेच्या प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. व कर रक्कम दंडासह भरणा करणे बंधनकारक राहील. ५) वेळीत मुदतीच्या कालावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) पूर्ण कराचा भरणा शास्ती ची रक्कम, व्याज, फी व इतर बाकी रक्कम विहित मुदतीत भरली नाही किंवा (ब) कलम १६९ तरतुदीनुसार अशा विला विरुद्ध अपिल केली नाही, तर अशी रक्कम व तो वसूल करण्याचा सर्व खर्च कलम १५२ अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहिते वॉरंट (अधिपत्र) मालमत्तेची अटकावणी किंवा जप्ती करून व ती जाहिर लिलावाद्वारे विकुण वसुलीस पात्र असेल ६) जम केलेल्या स्यावर मालमत्तेबाबत मा. रक्कमेत आपली स्यावर मालमत्ता ताब्यात घेता येईल. ७) सदर देयक ३१/०५/२०२४ पर्यंत चे वसुली नोंदीस आधिन राहून लागू करण्यात येत आहेत. असल्यास, भरलेली रक्कम सदर विलातून समायोजित केली जाईल.

### सन २०२४-२५ करीता मागणी

| कराचे विवरण                                 | थकीत मागणी रु | चालु मागणी                    |                               | चालु वसुली (असल्यास)<br>पावती पु.<br>पावती क्र<br>दिनांक | सन २०२४-२५ ची<br>एकुण देय मागणी रु |
|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                             |               | प्रथम अर्धवार्षिक<br>मागणी रु | दुसरी अर्धवार्षिक<br>मागणी रु |                                                          |                                    |
| संकलित कर रु                                | ११२७          | ५६४                           | ५६३                           |                                                          | २२५४                               |
| वृक्ष कर रु                                 | ४७            | २४                            | २३                            |                                                          | ९४                                 |
| अग्निशमन कर रु                              | २३            | १२                            | ११                            |                                                          | ४६                                 |
| वि. स्वच्छता कर रु                          | २३            | १२                            | ११                            |                                                          | ४६                                 |
| शिक्षण कर रु                                | २६१           | १३१                           | १३०                           |                                                          | ५२२                                |
| रो. ह. उपकर रु                              |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| उपयोगकर्ता शुल्क                            | ३६०           | १८९                           | १८९                           |                                                          | ७३८                                |
| शास्ती दि. ३१/०५/२०२४ पर्यंत                | १८४           |                               |                               |                                                          | १८४                                |
| अनधिकृत बांधकामावरिल दंडात्मक संकलित कर रु. |               |                               |                               |                                                          |                                    |
| एकुण कर रु                                  | २०२५          | ९३२                           | ९२७                           |                                                          | ३८८४                               |

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

| विवरण                      | जून-२४ | जुलै-२४ | ऑग-२४ | सप्टे-२४ | ऑक्टो-२४ | नोव्हे-२४ | डिसे-२४ | जाने-२५ | फेब्रु-२५ | मार्च-२५ |
|----------------------------|--------|---------|-------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| थकीत देय रक्कम रु          | २०२५   | २०६२    | २०९९  | २१३५     | २१७२     | २२०९      | २२४६    | २२८३    | २३२०      | २३५६     |
| पहिली अर्धवार्षिक मागणी रु | ९३२    | ९३२     | ९३२   | ९३२      | ९५१      | ९६९       | ९८८     | १००६    | १०२४      | १०४२     |
| दुसरी अर्धवार्षिक मागणी रु | ९२७    | ९२७     | ९२७   | ९२७      | ९२७      | ९२७       | ९२७     | ९२७     | ९२७       | ९२७      |
| एकुण देय रक्कम रु          | ३८८४   | ३९२१    | ३९५८  | ३९९४     | ४०५०     | ४१०५      | ४१६१    | ४२१७    | ४२७३      | ४३२९     |

झाडे लावा,  
झाडे जगवा



स्वच्छ दौंड  
सुंदर दौंड

कर विभाग प्रमुख

मुख्याधिकारी

दौंड नगरपरिषद, दौंड जि.पुणे